19 $\frac{12}{22}$

पत्रावली आज पेश हुई। वादी का वाद डिक्री किया गया। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जब्ता दीवानी)

**आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान) पीठासीन अधिकारी सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस) सहायक कलक्टर, कोटपूतली**

1. रामनारायण पुत्र ज्वारा आयु 80 वर्ष
2. छाजूराम पुत्र श्योलाल आयु 65 वर्ष
3. लालचंद पुत्र शंकर आयु 36 वर्ष
4. असराम पुत्र रतिराम आयु 45 वर्ष
5. शीशराम पुत्र नेतराम आयु 53 वर्ष

समस्त निवासी नांगड़ीवास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर– राजस्थान।

––वादी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटपूतली।

––––– प्रतिवादीगण

1. चंद कंवर पत्नि शंकर
2. महेश पुत्र शंकर
3. महेन्द्र पुत्र शंकर
4. कमलेश पुत्री शंकर
5. रोहिताश पुत्र रतिराम
6. महादी देवी पुत्री रतिराम
7. बाला पुत्री नेतराम
8. संतोष पुत्री नेतराम
9. बादामी देवी पुत्री ज्वारा
10. सराकौर पुत्री ज्वारा

समस्त जाति जाट समस्त निवासी नांगड़ीवास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर– राजस्थान।

तरतीबी प्रतिवादीगण

**दावा रिकॉर्ड दुरस्ती, घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

वाद पत्र संख्या – **28/2022**

मुकदमा आज बारते इनफिसाल कतई रूबरू व हाजरी.वकील वादी व वादीगण स्वयं मिनजानिब की अनुपस्थिति में पेश होकर हुक्म दिया जाता है व **डिक्री दी जाती है कि जवारा के पिता**

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

**नाम हनूता था ओर रूड़ा के पिता का नाम हीरा था। इसी प्रकार के तथ्य विक्रय पत्र पत्र दिनांक .08.1998 रजि. क्रमांक 1338 जिल्द संख्या 187 से प्रमाणित है। श्योलाल, खांगा का पुत्र था इसका णीकरण प्रदर्श संख्या 14 ग्राम पेजूका के खसरा नम्बर 239, 240, 241/576 एवं 266 की जमाबन्दी होता है। इसमें प्रविष्टी इस प्रकार से है। "महकमा कस्टोडियन अहमदवेग बशरह खसरा नम्बर 2 तेदार उपकृषक श्योलाल, कालु पिता खांगा जाट हिस्सा 2/3 हनुमान वल्द फुसा हिस्सा 1/3 ाट" इस प्रकार उक्त आलोक में प्रश्नगत खसरा नम्बर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जवारा पुत्र गासहाय हिस्सा 5/56 की जगह वादी संख्या 1 रामनारायण पुत्र जवारा को खातेदार काश्तकार षित किया जाता है। रूड़ा पुत्र गंगासहाय हिस्सा 5/56 के स्थान पर वादी संख्या 02 छाजुराम पुत्र योलाल का हिस्सा 5/112 वादी संख्या 3 लालचंद पुत्र शंकर एवं तरतीबी प्रतिवादी गण 1 लगायत 4 ंद कवंर पत्नी शंकर, महेश पुत्र शंकर, महेन्द्र पुत्र शंकर, कमलेश पुत्री शंकर प्रत्येक को अलग–अलग स्सा 5/560 का खातेदार घोषित किया जाता है। श्योलाल पुत्र गंगासहाय हिस्सा 5/56 के स्थान वादी संख्या 4 असराम पुत्र रतिराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 रोहिताश पुत्र रतिराम, महादी वी पुत्री रतिराम को अलग–अलग 5/336 कस खातेदार घोषित किया जाता है एवं वादी संख्या 5 शराम पुत्र नेतराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 बाला पुत्री नेतराम, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 तोष पुत्री नेतराम को अलग–अलग 5/336 का खातेदार घोषित किया जाता है।**

नेज..........................मुबलिग..........................................बावत.........................................................खर्चा इस ुकदमें के मय सूद बशरह..........................................................................फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख अदायगी तक.........................................का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.12.2022 मजमेआम को जारी की गई।

| ुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| ाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजाल | | |

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)